न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश, खुर्जा जिला बुलन्दशहर।
सत्र परीक्षण संख्या : 73/2025
सरकार बनाम ताहिर आदि।

<u>दिनांक: 24.06.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त नसीम जिला कारागार से उपस्थित आया। शेष अभियुक्तगण का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र स्वीकृत साक्षी एस.आई. परवेज चौधरी अनुपस्थित। साक्षी एस.आई. परवेज चौधरी जरिए बी०डब्लू० 1500 व नोटिस धारा 350 दं०प्र०सं० तलब हो।

अभियुक्त नसीम की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि सत्रवाद संख्या 73/2025, 74/2025, 75/2025, 72/2025, 71/2025 व 76/2025 में साक्ष्य हेतु पत्रावली प्रचलित है। वह अत्यन्त गरीब व्यक्ति है तथा अपना निजी अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ है। उसका कोई पैरोकार पैरवी करने वाला भी नहीं है और ना ही कोई जमानत देने वाला है। वह असहाय, विकलांग व वृद्ध व्यक्ति है तथा पिछले 15-16 महीने से जेल में है। अतः प्रार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु सरकारी वकील/न्यायमित्र दे दिया जाए।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। उक्त अभियुक्त के निवेदन पर वाह्य न्यायालय खुर्जा की Amicus Curiae की सूची वर्ष 2026-27 के क्रम सं० 1 पर अंकित अधिवक्ता श्री शशिपाल सिंह सोलंकी को अभियुक्त नसीम की पैरवी करने हेतु Amicus Curiae के रूप में नियुक्त किया जाता है। अधिवक्ता श्री शशिपाल सिंह सोलंकी सूचित हो। पत्रावली दिनांक 10.07.2026 को अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो। साक्षी एस.आई. परवेज चौधरी जरिए बी.डब्लू.1500 व नोटिस धारा 350 दं०प्र०सं० तलब हो।

दिनांक: 24.06.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2026.06.24 14:41:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court